पत्रांक 4571 /वैट धारा–57/08-09/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(धारा–57 अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून 20 मार्च 2009

सर्वश्री बजाज मेटल वर्क्स,
बाजपुर रोड़, काशीपुर ऊधमसिंहनगर।

आदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत

सर्वश्री **सर्वश्री बजाज मेटल वर्क्स, बाजपुर रोड़, काशीपुर ऊधमसिंहनगर** द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जिस के द्वारा बैटरी स्क्रैप और निष्प्रयोज्य बैटरी (Un-serviceable batteries)/(Condemn lead acid batteries) पर कर की दर तथा बैटरी आपरेटेड़ मोटर व्हीकल की बैटरी स्क्रैप और निष्प्रयोज्य बैटरी पर कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2- विभागीय पक्ष ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर काशीपुर सम्भाग काशीपुर द्वारा प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि चूंकि मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत बैटरी स्क्रैप, निष्प्रयोज्य बैटरी को किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता लागू होगी।

3– फर्म की ओर से अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए लिखित उत्तर दाखिल किया गया। अपने उत्तर में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि बैटरी स्क्रैप से प्लास्टिक बॉक्स तथा लेड ही प्राप्त होता है। इन दोनों ही वस्तुओं पर वैट अधिनियम के तहत **4** प्रतिशत से कर दर लागू है एवं बैटरी आपरेटेड़ मोटर व्हीकल को करमुक्त वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है।

4– मेरे द्वारा विभागीय पक्ष एवं फर्म अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया है। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत वस्तुओं को विभिन्न अनुसूची में रखते हुए उन पर कर की दर निर्धारित की गयी है। जो वस्तुए किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होती हैं उन पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होती है। बैटरी स्क्रैप तथा निष्प्रयोज्य बैटरी उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के तहत किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। किसी वस्तु विशेष का निर्माण विभिन्न कच्चे मालों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, जिन पर करदेयता भिन्न–भिन्न हो सकती है तथा इन कच्चे मालों के द्वारा निर्मित अथवा उत्पादित होने वाली वस्तु पर करदेयता भिन्न हो सकती है। अतः किसी वस्तु विशेष जिसका उपयोग किसी अन्य मुख्य उत्पाद में सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग होता हो अथवा वह वस्तु किसी ऐसे कच्चे माल से निर्मित होती हो अथवा उसके विखण्डन से ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति होती हो, जिस

–2–

20.03.8

पर करदेयता उस मूल वस्तु से भिन्न हो पर कर देयता का निर्धारण करने का आधार, केवल उस वस्तु विशेष के मूल्यवर्धित कर अधिनियम के तहत उपलब्ध अनुसूचियों से यह वस्तु आच्छादित है अथवा नहीं हैं, होगा। यदि वस्तु इन अनुसूचियों से आच्छादित है तो जिस अनुसूची से आच्छादित है उसी अनुसूची के कर दर के द्वारा ही निर्धारण किया जायेगा। चूँकि प्रश्नगत वस्तु बैटरी स्क्रैप तथा निष्प्रयोज्य बैटरी उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के तहत किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी। तद्नुसार व्यापारी के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। आदेश की प्रति व्यापारी तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करें।

(वी0के0 सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।

4571
पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
2– एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रूद्रपुर।
3– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/उद्योग/ व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
7– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
8– पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय, आई0आई0टी0 रूडकी ।
9– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
10– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
11– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
12– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
13– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
14– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

20.03
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय देहरादून।